न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील निर्वाचन सं0 17/2020

श्रीमति पुष्पादेवी पत्नि अजयसिंह जाति गुर्जर निवासी वामड़ा कालोनी, वार्ड सं0 30,
बयाना जिला भरतपुर ।

.... अपीलान्ट

बनाम

उपखण्ड अधिकारी बयाना ।

.......रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 04.11.2020 उपखण्ड अधिकारी बयाना बावत मतदाता सूची में नाम नहीं होड़ने के क्रम में ।

निर्णय **दिनांकः– 25.11.2020**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना जिला भरतपुर दिनांक 04.11.2020 के पेश की है । अपीलाधीन आदेश में उपखण्ड अधिकारी बयाना ने अपीलान्ट पुष्पादेवी पत्नि अजयसिंह के प्रारूप –3 बाबत निर्वाचन नामावली में नाम सम्मलित किये जाने के आवेदन को निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तहत पत्रावली तलव की गई । उपखण्ड अधिकारी बयाना से प्राप्त रिपोर्ट/ तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई । अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट ने प्रारूप सं0 3 मय आधार कार्ड ,विद्युत बिल ,राशनकार्ड की प्रति के साथ वार्ड संख्या 30 के भाग सं0 2 में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए उपखण्ड अधिकारी बयाना के समक्ष आवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 16:09:51 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के सभी मापदण्डों को पूरा करती है उसके बाबजूद भी प्रार्थिया का आवेदन उपखण्ड अधिकारी बयाना ने खारिज कर दिया है जो विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2020

को निरस्त करते हुए अपीलान्ट का नाम वार्ड संख्या 30 भाग सं02 की निर्वाचक नामावली बयाना में जोडे जाने के आदेश दिए जावें ।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया । पत्रावलियों का गहनता से अध्ययन किया । उपखण्ड अधिकारी बयाना से प्राप्त टिप्पणी एवं तहत पत्रावली का अवलोकन किया। ई0आर0ओ0 बयाना ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि अपीलान्ट का नाम पूर्व से ही ग्राम गुठाकर तहसील वैर की मतदाता सूची में दर्ज **है किन्तु अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रारूप 3 निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन के साथ अपना आधार कार्ड,राशनकार्ड व विद्युत बिल संलग्न किये हैं जिनके आधार पर बी0एल0ओ0 व हल्का पटवारी की रिपोर्ट में अपीलान्ट के नाम को वार्ड सं0 30 के भाग सं0 2 में जोड़ने की स्पष्ट सिफारिस की गई है ।**

अपीलान्ट के आधार कार्ड,राशन कार्ड, विद्युत बिल आदि दस्तावेज बयाना के होने से इनके बयाना में निवास करने की पुष्टि हो जाती है, जिसकी पुष्टि बी0एल0ओ0 व हल्का पटवारी, सुपरवाईजर के भौतिक सत्यापन से भी होती है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम गुठावर तहसील वैर की मतदाता सूची से अपने नाम कटवाने के सम्बन्ध में फार्म संख्या 07 की रसीद भी प्रस्तुत की गई है । ई0 आर0 ओ0 बयाना द्वारा अपीलाधीन आादेश विधिवत् जांच किये बिना व अपीलान्ट के निवास का भौतिक सत्यापन किये बिना ही पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। बी0एल0ओ0, हल्का पटवारी द्वारा की गई अभिशंसा व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर गौर करते हुए इनका नाम वार्ड संख्या 30 नगर पालिका बयाना की मतदाता सूची में जोडा जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अपीलान्ट का नाम नगर पालिका बयाना के वार्ड संख्या 30 के भाग सं0 2 की निर्वाचक नामावली में जोड़ने के

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 16:09:51 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिए जाते हैं । निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) नगर पालिका बयाना का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। तहत न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2020 को सुनाया गया ।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 16:09:51 IST
Reason: SelfAttested